राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 625/2013/झुंझुनूं

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–झुंझुनूं. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पृथ्वीराज कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
भड़ुन्दा खुर्द, झुंझुनूं. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 09/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 459/आरवैट/झुन्झुनूं/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–झुन्झुनूं (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक भूल की है क्योंकि व्यवहारी द्वारा ठेका कार्य में प्रयुक्त सामग्री के कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किये गये थे ऐसी स्थिति में सुनवाई के पश्चात् श्रम एवं प्रयुक्त सामग्री का आंकलन किया जाकर कर निर्धारण किया गया है एवं जिन खरीद बिलों में टिन नम्बर अंकित नहीं थे उनकी आई.टी.सी. का समायोजन नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं है। फलतः कर निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया।

लगातार.....2

4. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली एवं अपीलीय आदेश के अध्ययन पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये बिल, कार्य संविदा की प्रकृति को देखते हुए कम मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने अनुमान के आधार पर संविदा कार्य में अधिक माल का हस्तान्तरण माना गया है साथ ही संविदा कार्य में स्थानान्तरित माल पर कर दर भी अनुमान के आधार पर निर्धारित की गयी है। उसके पश्चात् अपीलीय अधिकारी द्वारा भी पुनः स्व अनुमान के आधार पर माल का हस्तान्तरण श्रम के अनुपात में 50 प्रतिशत माना जाने का आदेश करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त दोनों ही निर्णय विधि अनुकूल नहीं है क्योंकि किसी भी व्यवसायी द्वारा व्यावसायिक कार्यों में एवं खास तौर पर ठेका कार्यों में माल के स्थानान्तरण के मामलों में लेखा–पुस्तकों का संधारण किया जाना आवश्यक है एवं ठेका कार्यों के लिये दिये गये आदेशों एवं उसमें निहित कार्यानुसार माल की खरीद एवं उसका उपयोग किये जाने के अनुसार कर का दायित्व निर्धारित होता है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वेट अधिनियम के नियम 22ए में ठेका कार्यों के मामलों में लेखों के अभाव में करदेयता एवं श्रम को निर्धारित किये जाने के विशिष्ठ प्रावधान किये गये हैं ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी के निर्णय में दिये गये निर्देशों को अपास्त करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि कर निर्धारण अधिकारी नियम 22ए में प्रदत्त प्रावधानों के प्रकाश में लेखा–पुस्तकों की जांचकर एवं इस सम्बन्ध में उचित एवं आवश्यक अनुसंधान करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें जिसमें अनुमान के आधार पर माल के स्थानान्तरण का निर्धारण न करें बल्कि नियमानुसार करारोपण किये जाने की कार्यवाही करें।

5. अतः राजस्व की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिप्रेषित निर्देशों में उक्तानुसार संशोधन किया जाता है।

6. निर्णय सुनाया गया।

9/8/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य